

(xii) उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण, जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे का विवरण

स्वतः रोजगार योजना, धोबी समाज की लाण्ड्री योजना तथा नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू. 10,000/- अनुदान अनुमन्य है।